



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102020-222827
CG-DL-E-29102020-222827

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3439]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 29, 2020/कार्तिक 7, 1942

No. 3439]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2020/KARTIKA 7, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2020

सं. 43 / 2015—2020

विषय:— प्याज के बीज की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 3903(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 12 की क्रम सं. 73 पर मद विवरण हेतु प्याज के बीज की निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है :-

क्र.सं.	आईटीसी (एचएस) कोड	विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति
73	12099130	प्याज के बीज	प्रतिबंधित	निषिद्ध

2. विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 1.05 के तहत परिवर्ती व्यवस्था संबंधी प्रावधान इस अधिसूचना के तहत लागू नहीं होंगे।

3. **इस अधिसूचना का प्रभाव:**

प्याज के बीज के निर्यात को तत्काल प्रभाव से निषिद्ध किया जाता है। इस अधिसूचना के तहत परिवर्ती व्यवस्था के तहत प्रावधान (एफटीपी 2015–20 का पैरा 1.05) लागू नहीं होंगे।

[फा. सं. 01/91/180/923/एम-21/ईसी (ई-23941)]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2020

No. 43/2015-2020

Subject : Amendment in Export Policy of Onions Seeds.

S.O. 3903(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes the following amendment in the Export Policy of Onion seeds for the item description at Serial Number 73 of Chapter 12 of Schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export & Import Items, with immediate effect:

S.No	ITC (HS) Code	Description	Present Policy	Revised Policy
73	12099130	Onion seeds	Restricted	Prohibited

2. The provisions as under Para 1.05 of the Foreign Trade Policy 2015-20 regarding transitional arrangement shall not be applicable under this Notification.

3. **Effect of this Notification:**

The Export of Onion seeds is prohibited, with immediate effect. The provisions under Transitional Arrangement (Para 1.05 of the FTP 2015-20) shall not be applicable under this notification.

[F. No. 01/91/180/923/AM21/EC (E23941)]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-Officio Addl. Secy.